



राजस्थान सरकार

No Mask-No Entry

अतिआवश्यक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजस्ट्रेट अराँई, जिला अजमेर

E-Mail:- sdoarain@gmail.com

sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

पीठासीन अधिकारी श्री खेमराम यादव

कैम्प कोर्ट दसूक दिनांक 12/11/2021 सं. सं. 387/2020

उत्तान सम्पति / सरकार

आदेश

पश्चात् राजस्थान सरकार शब्द (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प. 12(2) राज. 1 2020 दिनांक 24.09.2021 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर आज दिनांक 12.11.2021 को कोर्ट कैम्प दसूक में पेश हुई वादीगण उप. वादीगण द्वारा उक्त प्र. पत्र 387/2020 में ग्राम दसूक स्थित कृषि भूमि खाता सं. 301 व खसरा सं. 426, 427 में नावा. बबलू पुत्र कुका, नावा. सुमन पुत्री कुका व सम्पति पति कुका के स्थान पर बबलू पुत्र खेमराज, सुमन पुत्री खेमराज व सम्पति पति खेमराज करवाने बाबत पेश किया। साथ ही ग्राम किशनपुरा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 29 खसरा सं. 81 व 82 में नावा. बबलू पुत्र कुको, नावा. सुमन पुत्री कुको व सम्पति पति कुको के स्थान पर बबलू पुत्र खेमराज, सुमन पुत्री खेमराज व सम्पति पति खेमराज करवाने की प्रार्थना की। सम्बन्धित पशवारी, भू.अ.मि. व तहसीलदार व सरपंच दसूक ने उक्तानुसार शुद्धि की अनुशंसा की है। अतः तहसीलदार व सरपंच दसूक के आदेश पर प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा रहा है। तथा मजमे आम दसूक में तहसीलदार अराँई को ग्राम किशनपुरा स्थित कृषि भूमि खाता सं. 29 ख. न. 81 व 82 में नावा. बबलू पुत्र कुको, नावा. सुमन पुत्री कुको व सम्पति पति कुको के एव. ग्राम दसूक स्थित कृषि भूमि खाता सं. 301 ख. न. 426, 427 में नावा. बबलू पुत्र कुका, नावा. सुमन पुत्री कुका, सम्पति पति कुका उपरोक्त के स्थान पर क्रमशः बबलू पुत्र खेमराज, सुमन पुत्री खेमराज व सम्पति पति खेमराज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्र. पत्र सं. 387/2020 के नम्बर से कम है।



12/11/21  
शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
अराँई (अजमेर)

